न्यायालय श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा R.A.S., उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी

प्रकरण संख्या – 81/2015 दिनांक– 3/11/17

वादी:–

शम्भूलाल पिता सेवा जी जाति नाई निवासी सूबी तह0 छोटीसादडी जिला प्रतापगढ

मृतक के वारसान:–

1/1–दुर्गा पुत्री स्व0 शंभूलाल जी जाति नाई निवासी सूबी तह0 छोटीसादडी

1/2–कैलाश पिता शंभूलाल जी जाति नाई निवासी सूबी तह0 छोटीसादडी

1/3–लीलाबाई बेवा शंभूलाल जी जाति नाई निवासी सूबी तह0 छोटीसादडी

:: बनाम ::

1– जमनाबाई पत्नि रामनारायण धोबी निवासी सूबी तह0 छोटीसादडी जिला प्रतापगढ

2– कन्हैयालाल पिता रामनारायण धोबी निवासी सूबी तह0 छोटीसादडी जिला प्रतापगढ

वाद अन्तर्गत धारा 183 रा0टी0एक्ट

:: निर्णय ::

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं:–

वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 183 रा0टी0एक्ट पेश किया कि ग्राम सूबी में वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी नं0 506, 507 किता 2 रकबा 2.10 हैक्टेयर है। वादी की आराजी नं0 506 की पश्चिमी मेड पर कुछ भाग पर प्रतिवादी ने कब्जा कर अपनी आराजी नं0 505/1221 में मिला लिया हैं। कब्जा 8 माह पूर्व किया। वादी के कहने पर कब्जा छोडने के लिये प0ह0 को निशानदेही करने पर छोडने की कहा। जिस पर भू0अभि0नि0 द्वारा दिनांक 21/05/2002 को पत्थरगढी की गई जिसमें वादी के खाते की आराजी नं0 506 की पश्चिमी मेड पर 0.06 हैक्टेयर पर प्रतिवादी का कब्जा पाया गया। वादी ने कब्जा छोडने के लिये प्रतिवादी को कहा तो इन्कार हो गये। इसलिये दावा पेश किया।

प्रतिवादीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी अपने पूर्वजों के समय से अपनी जमीन पर काबिज हो काश्त करते आ रहे हैं। प्रतिवादी ने वादीगण की जमीन पर किसी भी भाग पर अतिक्रमण नहीं किया हैं। वादीगण की नवीन आराजी नं0 506 का पुराना नम्बर 842 रकबा 8 बिघा 6 बिस्वा ही रकबा था और उसका तुलनात्मक रकबा 1.78 हैक्टेयर ही बनता है। वादीगण का पुराने रकबे से नवीन रकबे में 0.26 हैक्टेयर जमीन बेसी दर्ज होने से प्रतिवादी का वादीगण की जमीन पर 0.05 हैक्टेयर पर नाजायज कब्जा होने का तथ्य असत्य और भ्रामक है। भू0 अभि0 नि0 द्वारा पत्थरगढी सही नहीं की हैं वादीगण का पुराने रकबे से नवीन रकबा 0.26 हैक्टेयर जमीन बेसी दर्ज कर रखी हैं जो अपने आप में वादीगण के पास पुराने रकबे से बेसी जमीन चली आ रही हैं और इसी कारण भू0अभि0नि0 ने प्रतिवादी की ओर से जरीब चला कर नपती कर दी हैं जबकि पास ही सीमाडे से वादीगण की पश्चिमी मेड के दोनों कोने को कायम करना था और उसके बाद नपती करनी चाहिए थी जो नहीं की हैं जिस कारण वादीगण किसी तरह प्रतिवादी से 0.05 हैक्टेयर भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं।

उक्त प्रकरण में निम्न तनकीयात कामयम की गई:–

1– आया वादी की खातेदारी की आराजी नं0 506 की पश्चिमी मेड की तरफ बिलानाम में कुछ भाग 0.26 हैक्टेयर पर जबरदस्ती कब्जा कर अपनी प्रतिवादी की आराजी नम्बर 505/[illegible] में मिला लिया।
— जिम्मे वादी

2– आया वादी की आराजी नम्बर 506 का 0.06 हैक्टेयर प्रतिवादी के कब्जे में होने से उसका कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी हैं।
— जिम्मे वादी

3– आया वादी के पुराने आराजी 842 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा ही था जिसके नवीन नम्बर 506 रकबा 2.04 हैक्टेयर वर्तमान राजस्व रिकार्ड अंकित कर दिया हैं पुराने रिकार्ड के रकबे से वादी का नवीन रकबा 0.26 हैक्टेयर बेसी दर्ज कर दिया हैं।
— जिम्मे प्रतिवादी

4– आया प्रतिवाद पत्र की कलम नं0 6 अनुसार प्रतिवादी स्पेशल कास्ट वादी से प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

वादीगण ने सिबूत में नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2, नकल पर्चा मौका पत्थरगढी पेश की व साक्ष्य में शम्भूलाल, ख्वाजा हुसैन, अशोक कुमार, के शपथ पत्र पेश किये प्रतिवादी ने नकल खसरा भू प्रबन्ध पेश की व साक्ष्य में [illegible], कन्हैयालाल के बयान कराये।

उक्त प्रकरण में दिनांक 22–06–2007 को निम्न निर्णय पारित किया कि नकल जमाबन्दी से विवादित आराजी वादीगण के खातेदारी की साबित हैं। प्रस्तुत पर्चा मौका पत्थरगढी से स्पष्ट हैं कि विवादित आराजी नं0 506 में से 0.06 हैक्टेयर पर प्रतिवादीगण का कब्जा हैं जिसे नक्शा ट्रेस से दर्शाया गया हैं। चुंकि आराजी नं0 506 वादीगण की खातेदारी की हैं जिसमें से 0.06 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी ने कब्जा कर लिया हैं। जिसे वादीगण पुनः प्राप्त करने का अधिकारी हैं। इसलिये वाद वादीगण डिक्री किया जाता हैं।

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाता हैं। ग्राम सूबी की आराजी नं0 506 के पश्चिमी मेड पर 0.06 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा हैं जिनका कब्जा हटाया जाकर वादीगण को दिलाया जाता हैं। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें। डिक्री मुर्तिब की जावे। मिसल शुमार फैसल हो। नम्बर से कम हो।

उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर प्रतिवादीगण ने एक अपील संख्या 172/2007 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ में पेश की। जिससे दिनांक 23–09–2011 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने उभयपक्षों को सुनकर निर्णय पारित किया कि उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण अपीलाण्टस द्वारा वादोत्तर पेश किये एवं प्रकरण में 4 वाद बिन्दू विरचित किये जाने से उभयपक्ष की साक्ष्य लेकर सुनवाई करने के पश्चात् प्रत्येक वाद बिन्दू पर व्याख्या करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अस्वीकारोक्ती के वादोत्तर के बावजूद प्रकरण को लोक अदालत में रखकर निर्णय किया जाना विधि विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं। फलस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाकर उभयपक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर विधिवत सुनवाई के पश्चात् निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित होने से प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना उचित हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकरी छोटीसादडी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22–06–2007 अपास्त किये जाते हैं, और प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के सन्दर्भ में पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं।

दिनांक 24–03–2014 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा ने उक्त राजस्व प्रकरण का क्षैत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी का होने से प्रेषित की

होकर पत्रावली में पुनः सम्मन नोटिस जारी किये गये जो प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट को बाद तामिल प्रस्तुत हुये।

बावजूद सूचना के प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट उपस्थित नहीं हुये। उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण ने अपील प्रस्तुत की थी जिसे माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, चित्तौडगढ द्वारा पत्रावली प्रतिप्रेषित की गई हैं। उक्त प्रकरण में अपील प्रतिवादीगण ने प्रस्तुत की थी तथा पत्रावली प्रतिप्रेषित हुई जिसकी जानकारी भी प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट को हैं तथा बावजूद सूचना पत्र के भी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुये जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाना न्यायोचित हैं। वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जाहिर किया कि वादी शंभूलाल पिता रोडीराम नाई का देहान्त हो चुका हैं तथा उनके वारिसान दुर्गा पुत्री शंभूलाल, कैलाश पिता शंभूलाल, लीलाबाई बेवा शंभूलाल नाई निवासी सूबी हैं जिससे उनको न्यायहित में वादीगण के बजाए रिकार्ड पर लिया जाना न्यायोचित होकर आवश्यक हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी के वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया।

:: निर्णय ::

अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती हैं। तथा निर्णय दिनांक 22-06-2007 को यथावत रखा जाता हैं कि वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि ग्राम सूबी की आराजी नं0 506 के पश्चिमी मेड पर 0.06 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा हैं जिनका कब्जा हटाया जाकर वादीगण को दिलाया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिक्री मुर्तिब की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 9/11/17 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया जाता हैं।

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी